



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 3, 2020 (AGRAHAYANA 12, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 दिसम्बर, 2020

संख्या 7/31/2014-3ए0आर.- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे,-

(i) क्रम संख्या 201 ग तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"201 घ	खान और भू-विज्ञान विभाग	विकास गतिविधियों में सहायक तथा खुदाई किए गए खनिज के निपटान के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु परमिट देना ।	45 दिन	महानिदेशक, खान और भू-विज्ञान	प्रधान सचिव, खान और भू-विज्ञान	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

201 ड.	खान और भू-विज्ञान विभाग	सिंचाई विभाग द्वारा नहर तथा जल निकास प्रणाली के रख-रखाव की प्रक्रिया में उत्खनित खनिज के निपटान के लिए परमिट प्रदान करना	45 दिन	महानिदेशक, खान और भू-विज्ञान	प्रधान सचिव, खान और भू-विज्ञान	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
201 च	खान और भू-विज्ञान विभाग	प्रतियोगी बोली के माध्यम से खनन पट्टा/संविदा प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी करना	45 दिन	महानिदेशक, खान और भू-विज्ञान	प्रधान सचिव, खान और भू-विज्ञान	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
201 छ	खान और भू-विज्ञान विभाग	प्रतियोगी बोली के माध्यम से नए पट्टे के मामले में आशय पत्र जारी करना (खनन के लिए पर्यावरण समाशोधन तथा अन्य अपेक्षित अनुमोदन मांगने के लिए)	45 दिन	महानिदेशक, खान और भू-विज्ञान	प्रधान सचिव, खान और भू-विज्ञान	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार",

(ii) क्रम संख्या 233 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"233 क	आबकारी तथा कराधान विभाग	मदिरा के ब्रांड का पंजीकरण और ब्रांड लेबल का अनुमोदन	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा कराधान आयुक्त	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग
233 ख	आबकारी तथा कराधान विभाग	मदिरा का परमिट प्रदान करना	3 दिन	सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी	आबकारी तथा कराधान आयुक्त	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग
233 ग	आबकारी तथा कराधान विभाग	मदिरा के पास प्रदान करना	3 दिन	आबकारी निरीक्षक	आबकारी तथा कराधान आयुक्त	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग"।

विजय वर्धन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 3rd December, 2020

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:—

Amendment

In Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, in the Schedule, under columns 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7,—

(i) after serial number 201 C and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely :-

1	2	3	4	5	6	7
"201 D	Mines and Geology Department	Permit for the grant of permission for disposal of Mineral excavated incidental to development activities.	45 days	Director General, Mines and Geology	Principal Secretary, Mines and Geology	Chief Secretary to Government, Haryana
201 E	Mines and Geology Department	Grant of permit for disposal of mineral excavated in the process of maintenance of canal and drainage system by the irrigation Department.	45 days	Director General, Mines and Geology	Principal Secretary, Mines and Geology	Chief Secretary to Government, Haryana
201 F	Mines and Geology Department	Issue of letter of Intent for grant of mining lease/contract by way of competitive bidding.	45 days	Director General, Mines and Geology	Principal Secretary, Mines and Geology	Chief Secretary to Government, Haryana
201 G	Mines and Geology Department	Issuance of letter of Intent in case of fresh lease by way of competitive bidding (for seeking environmental clearance and other required approvals for mining).	45 days	Director General, Mines and Geology	Principal Secretary, Mines and Geology	Chief Secretary to Government, Haryana".

(ii) after serial number 233 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"233 A	Excise and Taxation Department	Registration of brand and approval of brand labels of liquor	30 days	Collector (Excise)	Excise and Taxation Commissioner	Principal Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department